

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष नि
	25/11/24	<p>पत्रावली चैश दुई। वकील वादी अनुपास्थित। वादी स्वयंभी अनुपस्थित। न्यायालय सत्रय में बार-बार आवाजे लगवाई गई परन्तु ना तो वादी स्वयं उपास्थित हुए, ना ही वादी की ओर से कोई अधिवक्ता उपास्थित हुए हैं। अतः वादी का वाद अदम टाजिरी अदम चैरवी में खारिज किया जाता है।</p> <p>पत्रावली नम्बर से कम घेकल शामिल फफर हो।</p> <p><u>लगा</u></p>	